भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 1464

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

सामुदाायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र

1464. श्री डी॰ कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पाइप द्वारा जल आपूर्ति परियोजनाओं और सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों की संस्थापना को प्रारंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो आवंटित निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान देश में ऐसे कितने सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं और कितने निवास स्थलों में पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा आरंभ कर दी गयी है, तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) जी हां

(ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाने के कवरेज में सुधार लाने के लिए, केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त निधियां किटी आधारित है और सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों अथवा पाइपयुक्त जलापूर्ति स्कीमों के लिए विशेष रूप से कोई निधियां आबंटित नहीं करता है।

आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण से निपटने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) की सिफारिश पर भारत सरकार ने मार्च 2016 में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी)/पाइप युक्त जलापूर्ति स्कीमों (पीडब्ल्यूएसएस) की अंतिम मील क्नेक्टिविटी के लिए 1,000 करोड़ रूपए जारी किए गए थे। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन के अंतर्गत लक्षित वित्तपोषण के जरिए आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों के लिए निधियां भी आबंटित की हैं।

इस मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (18.12.2018 तक) के दौरान पाइप युक्त जलापूर्ति स्कीमों (पीडब्ल्यूएसएस) और सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के जरिए बसावटों के कवरेज की राज्यवार स्थिति अनुलग्नक-I से IV पर दी गयी है।

अनुलग्नक-I: **दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1464 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

इस मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान पाइपयुक्त जलापूर्ति स्कीमों (पीडब्ल्यूएसएस) और सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के जरिए बसावटों की राज्य-वार कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनआरडीडब्ल्यूपी			नीति आयोग के अंतर्गत		
		पीडब्ल्यूएसएस के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या	संस्थापित सीडब्ल्यूपीपी की संख्या	सीडब्ल्यूपीपी के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या	पीडब्ल्यूएसएस के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या	संस्थापित सीडब्ल्यूपीपी की संख्या	सीडब्ल्यूपीपी के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1229	0	0	0	0	0
3	अरूणाचल प्रदेश	133	0	0	0	0	0
4	असम	450	0	0	0	0	0
5	बिहार	100	0	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	345	0	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	1095	0	0	0	0	0
9	हरियाणा	94	0	0	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	1327	0	0	0	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	226	0	0	0	0	0
12	झारखण्ड	394	0	0	0	0	0
13	कर्नाटक	14475	0	0	0	0	0
14	केरल	285	0	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	2011	0	0	0	0	0
16	महाराष्ट्र	1434	0	0	0	0	0
17	मणिपुर	62	0	0	0	0	0
18	मेघालय	180	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	22	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	166	0	0	0	0	0
21	ओडिशा	1493	0	0	0	0	0
22	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	154	0	0	0	0	0
24	राजस्थान	2219	0	0	0	0	0
25	सिक्किम	81	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	1389	0	0	0	0	0
27	तेलंगाना	1007	0	0	0	0	0
28	त्रिपुरा	634	0	0	0	0	0
29	उत्तर प्रदेश	1446	0	0	0	0	0
30	उत्तराखण्ड	320	0	0	0	0	0
31	पश्चिम बंगाल	4803	0	0	0	0	0
	कुल	**37574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

टिप्पण:कॉलमों के बीच में बसावटों/स्कीमों की संख्या परस्पर प्राप्त हो सकती है

अनुलग्नक-II: दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1464 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

इस मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान पाइपयुक्त जलापूर्ति स्कीमों (पीडब्ल्यूएसएस) और सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के जरिए बसावटों की राज्य-वार कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनआरडीडब्ल्यूपी			नीति आयोग के अंतर्गत		
		पीडब्ल्यूएसएस के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या	संस्थापित सीडब्ल्यूपीपी की संख्या	सीडब्ल्यूपीपी के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या	पीडब्ल्यूएसएस के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या	संस्थापित सीडब्ल्यूपीपी की संख्या	सीडब्ल्यूपीपी के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1108	6	5	0	248	172
3	अरूणाचल प्रदेश	119	0	0	0	0	0
4	असम	271	0	0	0	0	0
5	बिहार	296	7	7	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	663	0	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	1025	0	0	5	0	0
9	हरियाणा	87	0	0	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	797	0	0	0	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	257	0	0	0	0	0
12	झारखण्ड	1120	50	18	0	0	0
13	कर्नाटक	9784	124	91	0	177	140
14	केरल	281	0	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	576	0	0	0	12	12
16	महाराष्ट्र	1165	0	0	0	0	0
17	मणिपुर	74	0	0	0	0	0
18	मेघालय	70	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	28	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	160	0	0	0	0	0
21	ओडिशा	2089	0	0	0	17	17
22	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	113	0	0	0	0	0
24	राजस्थान	2286	201	172	315	666	552
25	सिक्किम	14	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	2910	0	0	0	0	0
27	तेलंगाना	1041	0	0	0	0	0
28	त्रिपुरा	320	0	0	0	0	0
29	उत्तर प्रदेश	1772	0	0	0	91	90
30	उत्तराखण्ड	241	0	0	0	0	0
31	पश्चिम बंगाल	4260	520	390	0	703	506
	कुल	**32927**	**908**	**683**	**320**	**1914**	**1489**
टिप्पण:कॉलमों के बीच में बसावटों/स्कीमों की संख्या परस्पर प्राप्त हो सकती है							

अनुलग्नक-III: दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1464 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

इस मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान पाइपयुक्त जलापूर्ति स्कीमों (पीडब्ल्यूएसएस) और सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के जरिए बसावटों की राज्य-वार कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनआरडीडब्ल्यूपी			नीति आयोग के अंतर्गत		
		पीडब्ल्यूएसएस के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या	संस्थापित सीडब्ल्यूपीपी की संख्या	सीडब्ल्यूपीपी के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या	पीडब्ल्यूएसएस के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या	संस्थापित सीडब्ल्यूपीपी की संख्या	सीडब्ल्यूपीपी के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	713	5	4	0	177	122
3	अरूणाचल प्रदेश	102	0	0	0	0	0
4	असम	215	14	12	0	9	9
5	बिहार	266	10	8	0	183	113
6	छत्तीसगढ़	904	0	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	1623	0	0	0	0	0
9	हरियाणा	64	0	0	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	768	0	0	0	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	318	0	0	0	0	0
12	झारखण्ड	1576	32	30	0	10	10
13	कर्नाटक	6657	185	125	0	194	144
14	केरल	166	0	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	390	27	14	0	91	78
16	महाराष्ट्र	596	0	0	0	0	0
17	मणिपुर	75	0	0	0	0	0
18	मेघालय	65	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	12	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	105	0	0	0	0	0
21	ओडिशा	986	0	0	0	0	0
22	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	114	0	0	0	134	81
24	राजस्थान	3411	407	349	347	1205	998
25	सिक्किम	31	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	2290	0	0	0	0	0
27	तेलंगाना	1472	0	0	291	0	0
28	त्रिपुरा	95	0	0	0	0	0
29	उत्तर प्रदेश	403	0	0	0	64	48
30	उत्तराखण्ड	306	0	0	0	0	0
31	पश्चिम बंगाल	5434	140	89	11	229	175
	कुल	**29157**	**820**	**631**	**649**	**2296**	**1778**

टिप्पण:कॉलमों के बीच में बसावटों/स्कीमों की संख्या परस्पर प्राप्त हो सकती है

अनुलग्नक-IV: दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1464 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

इस मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष2018-19 के दौरान (18.12.2018 तक) पाइपयुक्त जलापूर्ति स्कीमों (पीडब्ल्यूएसएस) और सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के जरिए बसावटों की राज्य-वार कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनआरडीडब्ल्यूपी			नीति आयोग के अंतर्गत		
		पीडब्ल्यूएसएस के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या	संस्थापित सीडब्ल्यूपीपी की संख्या	सीडब्ल्यूपीपी के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या	पीडब्ल्यूएसएस के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या	संस्थापित सीडब्ल्यूपीपी की संख्या	सीडब्ल्यूपीपी के जरिए कवर की गई बसावटों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	696	0	0	0	0	0
3	अरूणाचल प्रदेश	58	0	0	0	0	0
4	असम	576	0	0	0	49	44
5	बिहार	170	0	0	0	15	15
6	छत्तीसगढ़	445	0	0	0	9	9
7	गोवा	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	0	0	0	0	0	0
9	हरियाणा	66	0	0	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	82	0	0	0	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	66	0	0	0	0	0
12	झारखण्ड	103	9	9	0	9	9
13	कर्नाटक	781	16	11	0	32	26
14	केरल	95	0	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	232	0	0	0	0	0
16	महाराष्ट्र	101	0	0	0	0	0
17	मणिपुर	8	0	0	0	0	0
18	मेघालय	54	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	35	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	47	0	0	0	0	0
21	ओडिशा	560	0	0	0	0	0
22	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	49	0	0	0	88	50
24	राजस्थान	2713	63	54	207	476	425
25	सिक्किम	171	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	780	0	0	0	0	0
27	तेलंगाना	652	0	0	0	0	0
28	त्रिपुरा	36	0	0	0	0	0
29	उत्तर प्रदेश	105	0	0	0	0	0
30	उत्तराखण्ड	155	0	0	0	0	0
31	पश्चिम बंगाल	3090	21	20	107	227	178
	कुल	**11926**	**109**	**94**	**314**	**905**	**756**

टिप्पण:कॉलमों के बीच में बसावटों/स्कीमों की संख्या परस्पर प्राप्त हो सकती है